न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 26 / 2022

अनवान : –

1. भविष्य पुत्र शंकर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु. सरोज पत्नि शंकर पुत्र रामूराम जाति जाट भाम्भु निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. रामूराम पुत्र अमरूराम जाति जाट भाम्भू निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. शंकर पुत्र रामूराम जाति जाट भाम्भु निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. झन्डूराम पुत्र रामूराम जाति जाट भाम्भु निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
4. कमला पुत्री रामूराम पत्नि कृष्ण जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर हाल निवासी किसनपुरा तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
6. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायल स0 1

निर्णय दिनांकः 19/03/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 121 / 121 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 3 / 10 हिस्सा भूमि व खाता स0 125 / 118 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। प्रार्थी नाबालिग होने से जरिये माता वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण का अप्रार्थी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। लेकिन गैरसायल स0 1, 3 व 4 ने दुरभिसंधि कर रखी है एवं सायल को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है एवं उक्त भूमि को रहन, बैय व खुर्द करने पर उतारू है अगर गै[illegible] 1 [illegible] में कामयाब हो गया तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायल को अ[illegible]ज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने प[illegible] गया। रोही मौ[illegible]क 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 121 / 121 की कुल 3.[illegible]50 हैक्ट भूमि में से [illegible] हिस्सा भूमि व खाता स0 125 / 118 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई

Rahul

निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल द्वारा फर्जी उत्तराधिकारी बनकर कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। क्योंकि सायल हमारे परिवार की संता नही नही है। शंकरलाल तो कुंवारा था उसकी शादी भी नही हुई थी। सरोज देवी शंकर की पत्नी नही है। सरोज असम की है। सरोज का हमारे गांव से कोई संबंध नही है। अगर सायल शंकर का पुत्री होता तो जन्मप्रमाण पत्र आधार कार्ड व पहचान पत्र तो जरूर बनवाता लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 121/121 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 3/10 हिस्सा भूमि व खाता स0 125/118 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पैतृक भूमि है जिसमें सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि सायल द्वारा फर्जी उत्तराधिकारी बनकर कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। क्योंकि सायल हमारे परिवार की संता नही नही है। शंकरलाल तो कुंवारा था उसकी शादी भी नही हुई थी। सरोज देवी शंकर की पत्नी नही है। सरोज असम की है। सरोज का हमारे गांव से कोई संबंध नही है। अगर सायल शंकर का पुत्री होता तो जन्मप्रमाण पत्र आधार कार्ड व पहचान पत्र तो जरूर बनवाता लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रार्थी, अप्रार्थी स0 1 का वारिस हो एवं न ही सायल की माता सरोज देवी द्वारा विवाह पंजीयन व ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे यह साबित हो की सायल की माता गैरसायल स0 1 की पत्नी हो। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 08.03.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:14:41 IST
Reason: SelfAttested